उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या–28 / 2021

नवल किशोर बनाम् वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
08/09/2021	–:: आदेश ::– अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात वाद संख्या–151 / 2019 ट्रैक्टर संख्या–JH-01BG-5247 के स्वामी में दिनांक–18.08.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी नवल किशोर, पिता–घनश्याम प्रजापति, निवास स्थान–बरवाडीह, पूरबडीह, थाना–गोला, जिला–रामगढ़ (झारखण्ड) द्वारा भारतीय वन अधिनियम की धारा–52(A) के तहत् दिनांक–07.04.2021 को ऑनलाईन अपील वाद दायर किया गया है, अपील आवेदन के साथ कालबाद्ध को क्षान्त करने हेतु लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत् आवेदन संलग्न है। प्रविष्टि के बिन्दु पर बहस सुना एवं अपील आवेदन के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। **प्रथम पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता** का कहना है कि प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़ में दायर राज्यसात वाद संख्या–151 / 2019 ट्रैक्टर संख्या–JH-01BG-5247 के स्वामी में अपीलार्थी का पक्ष सुने बिना ही दिनांक–18.08.2020 को राज्यसात करने हेतु आदेश पारित किया गया है, जो विधिपूर्ण एवं पोषणीय नहीं है। विलम्ब हेतु दायर अपील आवेदन के सम्बन्ध में पक्ष रखते हुए इनका कहना है कि Corona Virus (COVID-19) वैश्विक महामारी के कारण निम्न न्यायालय द्वारा उक्त पारित आदेश के विरूद्ध ससमय अपील आवेदन दायर नहीं किया जा सका है, इन्होंने कालबाद्ध को क्षान्त करते हुए अपील वाद अंगीकृत (Admit) करने हेतु अनुरोध किया है। **विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़** के द्वारा अपीलार्थी की ओर से दायर अपील आवेदन पर आपत्ति दर्ज करते हुए इनका कहना है कि विलम्ब हेतु कालबाद्ध को क्षान्त करने के निमित्त समर्पित लिमिटेशन एक्ट की धारा–5 के तहत् आवेदन में तिथिवार विशिष्ट कारण एवं तथ्यात्मक रूप से क्रमवार तथ्यों को अपीलार्थी की ओर से नहीं बताया गया है। निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात वाद संख्या–151 / 2019 ट्रैक्टर संख्या–JH-01BG-5247 के स्वामी में विधिवत वाहन स्वामी को कारण–पृच्छा नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण की गई है तथा आदेश पारित किया गया है, जो विधि–सम्मत है। इन्होंने दायर अपील आवेदन को कालबाद्ध मानते हुए प्रविष्टि के बिन्दु पर अस्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया है।	

निष्कर्ष :–

प्रविष्टि के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ का बहस सुना तथा न्यायालय के समक्ष समर्पित दस्तावेज/कागजातों का अवलोकन किया, निम्न तथ्य स्पष्ट है :–

1. प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–151/2019 ट्रैक्टर संख्या–JH-01BG-5247 के स्वामी में दिनांक–18.08.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

2. झारखण्ड राज्य स्थित जिला के राजस्व न्यायालयों में ऑनलाईन आवेदन/अपील फाईलिंग करने का प्रावधान है, उक्त प्रावधान के अन्तर्गत ही अपीलार्थी के द्वारा दिनांक–07.04.2021 को ऑनलाईन अपील आवेदन दायर किया गया है।

3. अपील आवेदन से सम्बन्धित कालबाद्ध को क्षान्त करने के निमित्त अपीलार्थी की ओर से विलम्ब हेतु तिथिवार विशिष्ट कारण एवं तथ्यात्मक रूप से क्रमवार तथ्यों को न्यायालय के समक्ष उपस्थापित करने में असमर्थ रहे हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से अपील आवेदन के साथ संलग्न निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सच्ची प्रति का अवलोकन से स्पष्ट है कि, राज्यसात वाद संख्या–151/2019 ट्रेक्टर संख्या–JH-01BG-5247 के स्वामी में विधिवत वाहन स्वामी को अपना दावा–दस्तावेज रखने हेतु नोटिस निर्गत करते हुए सुनवाई की प्रक्रिया पूर्ण कर दिनांक–18.08.2020 को आदेश पारित किया गया है।

आदेश :–

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी की ओर से विलम्ब हेतु अपील आवेदन के सम्बन्ध में बताये गये कारणों से सहमत होने का कोई ठोस आधार नहीं बनता है। अतः विद्वान सरकारी अधिवक्ता, रामगढ़ से सहमत होते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन को प्रविष्टि के बिन्दु पर **अस्वीकृत** किया जाता है। इस आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

08.9.2021
उपायुक्त,
रामगढ़।

Digitally signed by madhvi mishra
Date: 2021.09.28 11:56:07 +05:30
Location: 192.168.0.5